

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02092022-238548
SG-DL-E-02092022-238548

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2022/भाद्र 10, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 242
No. 408]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022/BHADRA 10, 1944	[N. C. T. D. No. 242

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

फा. सं. 11(9)/प्रशा./वि.न्या. एवं विधा.का./2014/पीएफ/7382-7390.—नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के खंड (क) तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई नोटरी नियमावली, 1956 के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के अनुमोदन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर से प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से निम्नलिखित नोटरियों के नाम हटाने के आदेश करती है, अर्थात् :-

क्र. सं.	नोटरी का नाम, श्री/सुश्री/श्रीमती	हटाने का कारण
1.	श्रीमती मनोरमा सकसैना	16.08.2021 को मृत्यु
2.	श्री लोकेश आनन्द वशिष्ठ	20.02.2020 से प्रमाण-पत्र/लाइसेंस वापिस करना

यह अधिसूचना 2018 की रिट याचिका (सीविल) सं. 1043 "सन्नी आरोड़ा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य" में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 25.02.2019 के आदेश के अधीन एवं अनुसरण में जारी की जा रही है ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
रुचि अग्रवाल असरानी, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 1st September, 2022

F. No. 11(9)/Admn/LJ&LA/2014/PF/7382-7390.—In exercise of the powers conferred by section 10 read with clause (a) of the Notary Act 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made their-under, the Government of NCT of Delhi as per approval of Hon'ble Lt. Governor, Delhi is hereby orders the removal of the names of the following notaries from the register maintained under section 4 of the said Act, date mentioned against each:-

S. No.	Name of Notary, Sh./Ms./Mrs.	Cause of Removal
1	Smt. Manorama Saxena	Death on 16.08.2021
2	Sh. Lukesh Anand Vashishtha	Certificate/License Surrender w.e.f. 20.02.2020

This notification is being issued in pursuance to and subject to order dated 25.02.2019 passed by Hon'ble High Court of Delhi in W.P.(C) No. 1043 of 2018 "Sunny Arora Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr."

By Order and in Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
RUCHI AGGARWAL ASRANI, Spl. Secy.